Abolition of U.D.C's Grade

920. **Shri R. G. Dubey:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether any proposal has been made recently by the Clerk's Union for the abolition of U.D.C's Grade and its merger with Assistant's grade; and

(b) if so, the action proposed to be taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration.

Arrest of Criminal Tribes

921. **Shri R. G. Dubey:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether some Sansi men belonging to a former criminal tribe were arrested by Delhi Police for a number of dacoities in Bombay; and

(b) if so, the details about the arrested persons?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir. The arrests were made by the Bombay Police with the assistance of Delhi Police.

(b) Number of persons arrested was twenty eight (23 belonged to the former Criminal Tribe of Sansies and 5 were local residents).

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी

922. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पूना में बीस हजार किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन, जिसका मूल्य 30 लाख रुपये होता है, हाई एश-कंटेंट होने के कारण रद्दी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) यह सब किन परिस्थितियों में और कैसे हुआ तथा भविष्य में इस तरह की गड़बड़ को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) इस रद्दी की हुई दवा का किस प्रकार और क्या प्रयोग किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (घ) तक कम्पनी के क्वालटी कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट (Quality Control Department) द्वारा लगभग 10,000 किलोग्राम स्ट्रैप्टोमाइसीन सल्फेट रद्द कर दी गई क्योंकि विशिष्टियों (Specification) के अनुसार इनमें जितना राख अंश होना चाहिए था, उससे राख अंश अधिक था । ऐसा ज्ञात हुआ है कि सामग्री का ९0 प्रतिशत अग्रिम प्रक्रिया (further process) द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है । निदेशकों के बोर्ड ने इस समस्या पर विचार किया है और एक समिति की स्थापना की गई है जोकि इस के तमाम पहलुओं का निरीक्षण करेगी और भविष्य में एसी पुनरावृति को रोकने के लिए सुझाव देगी ।

Age Concessions to Indian Migrants

923. **Shri P. R. Chakraverti:**
Shrimati Savitri Nigam:
Maharajkumar Vijaya Ananda:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to give upper age limit concession of 3 years for admission to competitive examinations conducted by the Union Public Service Commission

to persons of Indian origin who have migrated from Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar;

(b) whether similar concessions will be made available to persons of Indian origin employed in Government service in those countries; and

(c) whether these concessions will also apply to competitive examinations conducted by the authorities other than the U.P.S.C. including the Defence Service examinations?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). Yes. The concession will be admissible for a period of 3 years, ending 30th November, 1967. Further, for persons of Indian origin employed in Government service in those countries, there is also no age restriction for recruitment to posts/services which are filled otherwise than through Union Public Service Commission. No age concession is, however, allowed to persons of Indian origin who have migrated from Kenya. Tanganyika, Uganda and Zanzibar (including those who were in Government service in those countries) for entry to services/posts in the Armed Forces, irrespective of whether the recruitment to those services/posts is through examinations conducted by the Union Public Service Commission or by Defence Ministry, or through any other method.

(c) Yes, the concession is also admissible for competitive examinations conducted by the authorities other than the Union Public Service Commission, except for the examinations conducted by Defence Ministry for entry to the Armed Forces, the position pertaining to which has been stated above.

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

924. { श्री हु० चं० पन्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम और नैनीताल के पहाड़ी इलाकों के लिए एक-एक विश्वविद्यालय बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे वर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित संयुक्त समिति की सिफारिश के अनुसार, नागालैंड, नेफा, मणिपुर तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों वाले भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था

925. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ को इमारत बनाने के लिए ऋण या अनुदान दिया था ;

(ख) यदि हां, तो कब और कितना ।

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त संघ ने इमारत का कुछ हिस्सा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल को किराये पर दिया हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). जी हां, 2,75,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था